Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 07 ⁄ 2020 सी.आई.एस.क्र.– 07 ⁄ 2020

अशोक कुमार चौधरी बनाम देबु शर्मा एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
04.06.2025	वादी एवं प्रतिवादी सं0 1ए, 1बी, 6, 11 एवं 12 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.04.2024 एवं 10.05.2024 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वाद भूमि छुतहरू ततमा की थी जो अपने पीछे अपने तीन पुत्री हेमली देवी, दोनिया देवी, जीरिया देवी को छोड़कर मरे हैं तथा हेमली देवी एवं दोनिया देवी ने 41.5 डिसमील जमीन रघुनी दास को विक्रय कर दिया है जिसे रघुनी दास ने वादी अशोक चौधरी को विक्रय कर दिया है। जिसकी चौहद्दी उत्तर – लिलिया ततमा, दक्षिण – सड़क, पूरब – सीमान धीमा एवं पश्चिम – विक्रेता है जिसके दक्षिण तरफ से 12 डिसमील 500 वर्गकरी प्रतिवादीगण के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस कारण से वाद के प्रभावी रूप से निराकरण हेतु वाद भूमि के भौतिक स्वरूप को अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक है। जिस कारण से निवेदन है कि इस आवेदन को स्वीकृत करते हुये अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा की जाये। प्रतिवादी सं0 1ए से 1सी, 6, 8, 11 से 14 की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह आवेदन विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है। वादी के द्वारा पूर्व में दिनांक 08.04.2024 को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया था जिसपर प्रतिवादी के द्वारा आपत्ति किया गया। तब वादी के द्वारा पुनः दिनांक 10.05.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। खतियानी रैयत की तीसरी पुत्री जिरिया देवी से डीड क्रमांक 8666 के द्वारा विशुनदेव शर्मा एवं संतलाल शर्मा व कंतलाल शर्मा ने खाता – 163, खेसरा – 1949 से $75^{1/4}$ डिसमील एवं खेसरा सं. – 1951 से 11 डिसमील एवं खेसरा – 1952 से 4 डिसमील जमीन कुल $90^{1/4}$ डिसमील जमीन बिक्री किया गया था जिसपर क्रेता दखलकार हैं। वादी के द्वारा अपने आवेदन में खाता एवं खेसरा का जिक्र नहीं किया गया है। स्थानीय अमीन के द्वारा कई बार वाद भूमि का नापी किया गया है जिसके आलोक में प्रतिवादी सं0 1 अपनी खरीदगी जमीन पर टीना का घर बनाकर रह रहा है। वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित नहीं किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा किस खाता, खेसरा एवं किस तिथि एवं समय पर विवादित जमीन में निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी दशा में वादी का आवेदन अस्पष्ट रूप से खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद स्वत्व की घोषणा एवं विभाजन हेतु लाया गया है तथा वादी के द्वारा इस वाद की लंबित रहते ही इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वाद भूमि के अंश भाग पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वादी के द्वारा उक्त निर्माण कार्य को रोके जाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये पूर्व में आवेदन	

	प्रस्तुत किया गया है जिस कारण से वादी द्वारा वाद भूमि के भौतिक स्वरूप की जांच हेतु यह आवेदन दिया गया है। अतः न्यायहित में वादी के इस आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अधिवक्ता आयुक्त खर्च मो0 1500/– जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा दिनांक 14.08.2024 को संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 14.02.2025 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके आलोक में वादी के द्वारा अन्य अनुतोष को संशोधित किया गया है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संशोधित अनुतोष के आलोक में सिरिस्तेदार प्रतिवेदन की मांग करें। वाद आगामी दिनांक 24.06.2025 वास्ते सिरिस्तेदार प्रतिवेदन हेतु। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	